

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 अप्रैल 2016—चैत्र 26, शक 1938

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2016

क्र. 508-501-2016-ए-सोलह.—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 26 की उपधारा (2-क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जिन पर मध्यप्रदेश दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियम, 2013 लागू होते हैं उन्हें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की परिधि से बाहर किया जाना प्रस्तावित करता है.

उक्त प्रस्ताव पर ऐसे समस्त व्यक्तियों को जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है जानकारी के लिए प्रकाशित कर एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्ताव पर "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दो मास की अवधि व्यतीत होने के बाद विचार किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार वर्मा, उपसचिव.